

अध्याय - III

मैसर्स टेलीनॉर (इण्डिया) संचार लिमिटेड द्वारा सांझा किया गया राजस्व

3.1 प्रस्तावना

वर्ष 2008 के दौरान यूनीटैक वायरलैस ने आठ¹ विभिन्न संस्थाओं के नाम पर 22 टेलीकॉम परिमंडलों के लिए जी एस एम लाइसेंस प्राप्त किये। अप्रैल 2009 में यूनीटैक लांग डिस्टेन्स कम्यूनिकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (यू एल डी सी एस पी एल) द्वारा नेशनल लांग डिस्टेन्स (एन एल डी) व इन्टरनेशनल लांग डिस्टेन्स (आई. एल. डी) लाइसेंस प्राप्त किये गये थे। टेलीनॉर 67.25 प्रतिशत शेयरों की हिस्सेदारी के साथ 31 मार्च 2010 को यूनीटैक वायरलैस की नियंत्रक कंपनी थी। यूनीटैक वायरलैस (तमिलनाडु) प्राइवेट लिमिटेड ने (अप्रैल 2010) में आठ संस्थाओं के साथ व्यवस्था एवं संयोजन की एक योजना दर्ज की जिसे 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी किया गया और इस योजना को (सितंबर 2010) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। 01 अप्रैल 2010 से यू. एल. डी सी एस पी एल कंपनी के साथ सम्मिलित हो गई।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के कंपनियों व अन्य को वितरित किये गये 2जी लाइसेंसों को रद्द करने के निर्णय के परिणामस्वरूप, टेलीनॉर समूह ने (नवम्बर 2012) में टेलीविंग कम्यूनिकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (टी सी एस पी एल) के माध्यम से नीलामी में छः² टेलीकॉम परिमंडलों के स्पेक्ट्रम प्राप्त किये। नवम्बर 2013 में उपरोक्त छः टेलीकॉम परिमंडलों को टी सी एस पी एल के नाम पर यूनिफाइड लाइसेंस (यू एल) जारी किये गये। बाद में, फरवरी 2014 की नीलामी में, टेलीनॉर समूह ने असम परिमंडल के लिए स्पेक्ट्रम प्राप्त किया व अगस्त 2014 में असम टेलीकॉम परिमंडल के लिए यूनिफाईड लाइसेंस (यू एल) जारी किया गया था। अगस्त 2015 में डी ओ टी के अनुमोदन के साथ कंपनी का नाम टेलीविंग कम्यूनिकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मैसर्स टेलीनॉर (इण्डिया) कम्यूनिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड रख दिया गया।

3.1.1 टेलीनॉर समूह द्वारा धारित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम

टेलीनॉर समूह द्वारा एल एस ए धारित मार्च 2015 को 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में मुख्य रेडियो स्पेक्ट्रम, एम डब्ल्यू एक्सस व बैकबॉन स्पेक्ट्रम का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 3.1

क्र. सं.	लाइसेंस सेवा क्षेत्र	आवंटित मुख्य रेडियो स्पेक्ट्रम (मेगाहर्ट्ज)	एम डब्ल्यू एक्सस स्पेक्ट्रम (मेगाहर्ट्ज में) ³
1	आन्ध्रप्रदेश	6.4	56
2	असम	6	56
3	बिहार	7.2	56

¹ एडॉनिस प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, अस्का प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, अजारे प्रॉपर्टीज लिमिटेड, हडसन प्रॉपर्टीज लिमिटेड, नाहन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिटेक बिल्डर्स एवं इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, यूनीटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एवं वोल्गा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड।

² आन्ध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश-पूर्व और उत्तर प्रदेश-पश्चिम।

³ एक कैरियर = 56 मेगाहर्ट्ज

क्र. सं.	लाइसेंस सेवा क्षेत्र	आवंटित मुख्य रेडियो स्पेक्ट्रम (मेगाहर्ट्ज)	एम डब्ल्यू एक्सेस स्पेक्ट्रम (मेगाहर्ट्ज में) ³
4	गुजरात	5	56
5	महाराष्ट्र	5	56
6	उत्तर प्रदेश पूर्व	6.8	56
7	उत्तर प्रदेश पश्चिम	7	56

3.1.2 टेलीनॉर समूह द्वारा बताया गया राजस्व और राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान

टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को ए जी आर के प्रतिशत के रूप में स्व-मूल्यांकन के आधार पर त्रैमासिक रूप में लाइसेंस फीस (एल एफ) व स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एस यू सी) का भुगतान करना है। वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान कंपनी द्वारा सूचित किये गये सकल राजस्व (जी आर), कटौती, समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) व की गई राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ व एस यू सी) का विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 3.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ग्राहक आधार (प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च के अनुसार – संख्या करोड़ में)	जी आर	कटौतियां	ए जी आर	ए जी आर की जी आर से प्रतिशतता	भुगतान की गयी राजस्व हिस्सेदारी
						(एल एफ+ एस यू सी)
2009-10	0.42	36.81	19.24	17.57	48	8.89
2010-11	2.27	860.39	352.45	507.94	59	63.69
2011-12	4.24	3845.33	1459.77	2385.56	62	286.90
2012-13	4.01	2534.13	1025.50	1508.63	60	175.37
2013-14	3.56	3598.81	1444.53	2154.28	60	249.49
2014-15	4.56	4683.07	1804.27	2878.80	61	357.32
	कुल	15558.54	6105.76	9452.78	61	1141.66

3.2 प्रीपेड सेवाओं के लिए विक्रेताओं/अभिदाताओं को कमीशन/ऑफर/छूट से संबन्धित राजस्व को नेटिंग ऑफ करने के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग

वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि के लिए यूनीटेक/टेलीनॉर द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रीपेड सेवाओं से संबन्धित डाटा/अभिलेख की जाँच में यह पाया गया कि :-

- वितरकों/एजेन्टों को दी जाने वाली मार्जिन/कमीशन को प्रीपेड सेवाओं के राजस्व में सम्मिलित नहीं किया गया था।
- उपभोक्ताओं को दिये गये प्रस्तावों जैसे ग्राहकों को मुफ्त एयर टाइम (एफ ए टी), ग्राहकों को प्रोत्साहन प्रस्ताव, ग्राहकों को दिये गये फुल टॉक टाइम का प्रस्ताव,

उपभोक्ताओं को दिये गये छूट के प्रस्ताव आदि को प्रीपेड सेवाओं से संबंधित राजस्व से सेट ऑफ किया गया था।

मदवार विवरण नीचे दिया गया है-

3.2.1 वितरकों को मार्जिन/कमीशन के भुगतान को नेटिंग ऑफ करने के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग

यूनीटेक/टेलीनॉर समूह प्रीपेड भाग में चैनल विक्रय सहभागियों (डीलर्स/वितरकों) द्वारा विभिन्न उत्पादों की बिक्री करता है जिसके लिए उन्हें मार्जिन/कमीशन भुगतान किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2014-15 के यूनीटेक/टेलीनॉर समूह द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों/सूचनाओं की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि कंपनी के खाते में राजस्व, डीलर्स/वितरकों को प्रदान की गई कमीशन/मार्जिन को घटाने के बाद बुक किया गया था। उपरोक्त मार्जिन/कमीशन जो वितरकों को प्रदान किये गये थे उन्हें जी आर/ए जी आर में वापस नहीं जोड़ा गया था। जैसा कि डीलर्स/वितरकों को भुगतान किये गये कमीशन/मार्जिन व्यय की प्रकृति के थे, अतः ऐसे खर्चों को राजस्व के साथ नेटिंग, लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध था जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सकल राजस्व संबंधित खर्चों से सेटऑफ किये बिना होगा। इसके परिणामस्वरूप कंपनी के लेखों के साथ-साथ सी सी ए/डी ओ टी को प्रस्तुत किये गये ए जी आर विवरणों में वास्तविक राजस्व की कमी हुई।

यह पाया गया कि वित्तीय वर्षों 2009-10 to 2014-15 के दौरान डीलर्स/वितरकों को कुल ₹ 944.38 करोड़ की राशि कमीशन/मार्जिन के रूप में भुगतान की गई थी और इस राशि को जी आर/ए जी आर की गणना के लिए राजस्व में सम्मिलित नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि:

- कंपनी व वितरकों के मध्य संबंध प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल (पी टू पी) आधार पर था।
- भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी ए एस-9 के अनुसार, राजस्व को अनुच्छेद 4.1 में परिभाषित किया है जिसके अनुसार “राजस्व नकदी, उपक्रम के सामान्य गतिविधियों के दौरान सामान की बिक्री से उत्पन्न प्रतिफल, सेवाओं के प्रतिपादन व अन्य लोगो द्वारा अनुवर्तित व्यय के साथ उपक्रम के संसाधनों के प्रयोग, रॉयल्टी और लाभांश का, सकल अन्तः प्रवाह है। राजस्व को ग्राहकों को दिये जाने वाली वस्तुओं के शुल्क और उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं व संसाधनों के प्रयोग से प्राप्त शुल्क के रूप में मापा जाता है...”
- आगे, टी डी सैट के दिनांक 23 अप्रैल 2015 के अपने निर्णय में कहा कि “हमारी दृष्टि में “सकल राजस्व” की परिभाषा यह नहीं हो सकती कि हम लाइसेंस को उस सेवा की थोक की कीमत तय करने से रोके” जोकि एम आर पी से कम है। परीक्षा यह है कि कैसे वास्तविक लेनदेन तय होता है। यदि बिक्री व चालान प्रक्रिया एम आर पी पर है व पृथक रूप से कोई छूट प्रदान की जाती है, तो

खण्ड संख्या 19.1 के अनुसार ऐसी छूट कटौती योग्य नहीं होगी तब भी जबकि लाभ और हानि को राजस्व की छूट को हटाने के पश्चात् खाते में बुक किया गया है। वहीं दूसरी तरफ यदि बिक्री एक विवरित/सहमति वाले मूल्य पर है, सहमति वाले मूल्य पर चालान किया गया है व बिना किसी कटौती के राजस्व को लाभ व हानि के खाते में बुक किया गया है तो वास्तविक क्रय मूल्य ही राजस्व होगा व एम आर पी एवं क्रय मूल्य के बीच में आने वाले मूल्य के अंतर “सकल राजस्व” में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

- टी डी सैट के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील दर्ज कर दी गई है।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि -

- यूनीटेक/टैलीनोर समूह अंततः सेवाओं को प्रदान कर रहा है और इसीलिए, वितरकों को प्रदान किये जाने वाले छूट/कमीशन बाजार व्यय की प्रकृति की होगी और इस प्रकार राजस्व से घटायी नहीं जानी चाहिए। यह खण्ड संख्या 19.1 की शर्त के अनुसार हैं।
- लेखापरीक्षा का मत है कि यह लेनदेन प्रिंसिपल टु प्रिंसिपल के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि अन्ततः ग्राहकों को सेवायें प्रदान करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से यूनीटेक/टैलीनोर समूह का है ना कि वितरकों का।
- जबकि यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचारधीन है, लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण यह है कि वितरकों/फ्रैंचाइजी/डीलर्स को भुगतान किया गया कमीशन/मार्जिन बाजार व्ययों की प्रकृति का है और इसलिए राजस्व के साथ ऐसे व्ययों का समायोजन लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध था।

इस प्रकार प्रीपेड सेवाओं से कमीशन/मार्जिन की ₹ 944.38 करोड़ (अनुलग्नक-3.01) की राशि का समायोजन (नेटिंग ऑफ) के कारण वर्ष 2009-10 से 2014-15 के अवधि के लिए जी आर/ए जी आर के अन्डर स्टेटमेंट एवं परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा एल एफ व एस यू सी के क्रमशतः ₹ 79.19 करोड़ व ₹ 34.28 करोड़ की राशि कहे गये राजस्व पर भुगतान नहीं किये गये थे।

3.2.2 ग्राहकों/विक्रेताओं को दिये गये प्रस्तावों के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग

यूनीटेक/टैलीनोर समूह अपने ग्राहकों/डीलर्स को फ्री एयरटाइम (एफ ए टी), प्रोत्साहन आफर, फुल टाक टाईम (एफ टी टी) आदि की ऑफर देता है।

वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि के लिए जी एल के सार की समीक्षा और ओरेकल फाइनेंशियल्स से प्राप्त जनरल वाउचर्स (जे वी) सार के सत्यापन से पता चलता है कि वितरकों/डीलर्स को दी जाने वाली प्रमोशनल प्रस्तावों के मूल्य ₹ 1330.97 करोड़ की राशि को जी आर/ए जी आर में स्वीकार नहीं किया गया। चूंकि ग्राहकों को दिये जाने वाले प्रस्ताव जैसे कि फ्री एयरटाइम, व्यवसाय को बढ़ाने हेतु एक सम्पूर्ण व्यवसायिक

रणनीति का भाग था, अतः ऐसी छूट/प्रस्ताव/कटौती कि कीमत खर्च की प्रकृति की थी। आगे लाइसेंस समझौते के अनुसार सेवा राजस्व को बिना किसी समायोजन के सकल राजस्व के रूप में दिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो आदि के प्रस्तावों के मूल्यों को प्रीपेड राजस्व में ना जोड़ने की परिणती वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि में एल एफ/एस यू सी के उद्देश्य से ₹ 1330.97 करोड़ के कम राजस्व की रिपोर्टिंग के रूप में हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि:-

- कम्पनी कुछ प्रीपेड टैरिफ योजनाएं आफर करती है जिसमें ग्राहकों को एक तय मूल्यवर्ग के रिचार्ज वाउचर से रिचार्ज करने पर फ्री एयरटाईम प्रदान किया जाता था और राशि जो वास्तविक रूप में ग्राहक द्वारा अदा की गई थी, उसे अन्ततः राजस्व के रूप में बुक किया गया था। जो टैरिफ योजनायें टी आर ए आई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आती थी उनके संबंध में यह संभव नहीं था कि फ्री एयरटाईम को एक व्यय के रूप में माना जाये क्योंकि यह कम्पनी द्वारा किया गया व्यय नहीं था। "कुल राजस्व" की गणना करने के क्रम में अन्तर्वाह की वस्तु काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक होनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त लेखांकन के मानक संख्या-9 जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी है, के अनुसार राजस्व, नकद, उपक्रम के सामान्य गतिविधियों के दौरान वस्तुओं की बिक्री, सेवाओं के प्रदान करने से उत्पन्न प्राप्त प्रतिफल, व अन्य लोगों द्वारा अनुवर्तित ब्याज के साथ उपक्रम के संसाधनों के प्रयोग, रॉयल्टी एवं लाभांश का, सकल अन्तःप्रवाह है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है:-

- चूंकि एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो आदि व्यवसाय को बढ़ाने हेतु एक सम्पूर्ण व्यवसायिक रणनीति का भाग था, अतः ये व्यय की प्रकृति की थी और लाइसेंस अनुबंध के अनुसार खर्च से सम्बन्धित मदों के लिए समायोजन अनुमत्य नहीं था। आगे, एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो आदि जैसे प्रस्तावों को टैरिफ के अनुसार प्रस्तावित किया जाना एवं ग्राहकों को दिये गये प्रस्तावों को विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया।
- लेखापरीक्षा यह मत रखता है कि एयरटाईम एक मुफ्त वस्तु नहीं है अपितु इसका एक आंतरिक मूल्य है, व एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो जैसे प्रस्ताव देते हुए लाइसेंस धारक इनको व्यय के रूप में दर्ज करने के बजाय राजस्व को छोड़ रहे हैं जिसके फलस्वरूप एल एफ और एस यू सी से बचा जा रहा है।

इस प्रकार, ऑफर्स एफ टी टी/एफ ए टी आदि की ₹ 1330.97 करोड़ (अनुलग्नक-3.02) की राशि को प्रीपेड सेवाओं के राजस्व में सम्मिलित ना करने के कारण वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान जी आर/ए जी आर में कमी आई और डी ओ टी को एल एफ व एस यू सी की क्रमशतः ₹ 111.31 करोड़ व ₹ 49.53 करोड़ की राशि का कम भुगतान किया गया।

3.2.3 प्रीपेड राजस्व से छूट का समायोजन के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग

वर्ष 2009-10 से 2014-15 के यूनीटैक/टेलीनॉर समूह के प्रीपेड सेवाओं से संबंधित ऑकड़ों/अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि कम्पनी द्वारा प्रीपेड ग्राहकों को समायोजन/छूट प्रदान की गई थी। यह भी पाया गया कि कम्पनी ने छूट की कीमत को व्यय शीर्ष के बजाय प्रीपेड राजस्व शीर्ष को डेबिट किया गया था जिसके फलस्वरूप ए जी आर में राजस्व ₹ 159.55 करोड़ कम दिखाया गया।

लाइसेंस समझौते के अनुसार, जी आर में किसी संबन्धित खर्च के समायोजन के बिना सेवाओं से प्राप्त समस्त राजस्व को सम्मिलित करना है। इस प्रकार छूट की कीमत को खर्च मानने के बजाय राजस्व शीर्ष को डेबिट करना लाइसेंस समझौते का उल्लंघन था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि:

- ग्राहकों को दी जाने वाली छूट में गलत शुल्क शामिल है जिन्हें कि ग्राहकों के लिए क्रेडिट समायोजन द्वारा संशोधित किया गया व उन्हें मुफ्त अतिरिक्त टाक टाईम के साथ प्रमोशनल पैक दिये गये। व्यवसाय के सामान्य क्रम में, राजस्व इस तरह की छूट देने के लिये पहचाना जाता है। गलत शुल्क के लिए व्यवसाय में यह आवश्यक है कि इस राशि को वापस किया जाये व ग्राहकों को ये छूट टी आर ए आई के दिशानिर्देशों के अनुसार है।
- ए एस-9 के अनुच्छेद संख्या 4.1 के अनुसार राजस्व नकदी, उपक्रम के सामान्य गतिविधियों के दौरान सामान की बिक्री से उत्पन्न प्रतिफल, सेवाओं के प्रतिपादन व अन्य लोगों द्वारा अनुवर्तित ब्याज के साथ उपक्रम के संसाधनों के प्रयोग व रॉयल्टी एवं लाभांश का सकल अन्तः प्रवाह है। राजस्व को ग्राहकों को दिये जाने वाले वस्तुओं के शुल्क और उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं व संसाधनों के प्रयोग से प्राप्त शुल्क के रूप में मापा जाता है। इस प्रकार जैसा कि उपर बताया गया है, ग्राहकों को दिये जाने वाले प्रमोशनल पैक व मुफ्त/अतिरिक्त टाकटाईम के कारण गलत शुल्कों से होने वाली त्रुटि का समायोजन करना व्यवसायिक कार्य का ही एक सामान्य हिस्सा थे और इसके कारण नकदी के अंतर्वाह, प्राप्तियों अथवा अन्य प्रतिफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा परिणामस्वरूप इन्हें राजस्व के विरुद्ध समायोजित करना पड़ा व उन्हें प्रथक रूप से एक व्यय के रूप में नहीं रखा जा सका।

प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि :-

- ग्राहकों से गलत शुल्कों, व ग्राहकों को दिये जाने वाले प्रमोशन के प्रस्ताव (एफ ए टी आदि) के समायोजन से संबन्धित छूट का व्योरा प्रस्तुत नहीं किया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये ऑकड़े जी एल कोड में बुक होने वाले मूल्य के साथ समाधान की प्रक्रिया में शामिल नहीं थे व कम्पनी इन ऑकड़ों से संबंधित कोई समाधान नहीं कर पाई। आगे, कम्पनी द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली छूट के कारण लगने वाले गलत शुल्कों के पक्ष में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये।

- लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस समझौते के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण की तैयारी के नियमों के अनुसार, सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) को कुल राजस्व के रूप में दर्शाया जाये व कटौती/छूट को प्रथक रूप से दर्शाया जाए। हालांकि प्रबंधन ने वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय कटौती/छूट का समायोजन किया जो कि लाइसेंस समझौते के विरुद्ध था। क्योंकि यह व्यवसाय को बढ़ाने की सम्पूर्ण वाणिज्यिक युक्ति का भाग था, इसलिए ये खर्च की प्रकृति की थी और लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार खर्च की संबंधित मदों के लिए समायोजन अनुमत्य नहीं था। इस प्रकार इन्हें पुनः जी आर में शामिल किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार प्रीपेड सेवाओं की छूट से प्राप्त ₹ 159.55 (अनुलग्नक-3.03) करोड़ की राशि के समायोजन का परिणाम जी आर/ए जी आर को कम दिखाने व भारत सरकार को एल एफ व एस यू सी क्रमशतः ₹ 13.11 करोड़ व ₹ 6.24 करोड़ की राशि का कम भुगतान के रूप में फलित हुआ।

3.3 अन्य आपरेटरो को भुगतान/क्रेडिट किये गये इंटर आपरेटर ट्रेफिक (आई ओ टी) छूट को समायोजित करने के कारण रोमिंग राजस्व की कम रिपोर्टिंग

यूनीटेक/टेलीनॉर समूह का रोमिंग सेवाये प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपरेटरो के साथ अनबंध है और रोमिंग अनुबंध कम्पनी नेटवर्क के थोक प्रयोग के लिए मात्रा छूट प्रदान करता है। आपरेटर के अभिलेख की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2009-10 से 2014-15 कि अवधि में इन आपरेटरों को भुगतान की गई इंटर आपरेटर ट्रेफिक (आई ओ टी) की छूट, राजस्व से घटायी गयी। अन्य आपरेटरों के साथ रोमिंग व्यवस्था, दो आपरेटरों में मध्य आपसी अनुबंध का मामला था और दो आपरेटरो के मध्य व्यवसाय बढ़ोतरी के लिए वाणिज्यिक रणनीति का भाग था। इस प्रकार, ये छूट खर्च की प्रकृति की थी इसलिए लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार इनको राजस्व से घटाया नहीं जाना चाहिए।

कंपनी से संबन्धित डाटा/अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि में ₹ 3.27 करोड़ की राशि रोमिंग राजस्व को डेबिट की गयी थी जो कि लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि:-

- अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय रोमिंग राजस्व, व्यवसाय द्वारा अंगीकृत समझौते के आधार पर प्राप्त किया जाता है। समझौते की शर्तों के अनुसार, तय लक्ष्य प्राप्त करने पर पार्टी कम दर पर लाभ प्राप्त करने की हकदार थी। प्रथा अनुसार राजस्व को टी ए पी आई एन के आधार पर पहचाना जाता था, तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद भी संशोधित टी ए पी आई एन की फाईलों में कोई सुधार नहीं हुआ। अतः तय लक्ष्य प्राप्त करने पर मिलने वाले कम दरो पर लाभ को क्रेडिट नोट द्वारा अन्य पार्टी को दे दिया गया। परिणामस्वरूप प्रणाली की मजबूरी के कारण क्रेडिट नोट जारी किए गए अतः इस प्रकार की राशि को व्यय के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सका।

- ए एस-9 के अनुच्छेद संख्या 4.1 के अनुसार राजस्व "राजस्व नगदी, उपक्रम के सामान्य गतिविधियों के दौरान वस्तुओं की बिक्री सेवाओं के प्रदान करने से उत्पन्न प्राप्त प्रतिफल व अन्य लोगों द्वारा अनुवर्तित ब्याज के साथ उपक्रम के संसाधनों के प्रयोग, रौयल्टी एवं लाभांश का, सकल अन्तर्वाह है। राजस्व को ग्राहकों को दिये जाने वाले वस्तुओं के शुल्क के अनुसार मापा जाता है व उन्हें इसमें प्रदान की जाने वाली सेवाओं व संसाधनों के प्रयोग से प्राप्त लाभ के शुल्क को भी मिलाया जाता है।"

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि-

- सहमत प्रभारों से ऊपर दी जाने वाली छूट व्यवसाय के बढ़ोतरी हेतु एक समग्र वाणिज्यिक रणनीति का भाग थे और इस प्रकार के छूट खर्च की प्रकृति की थी
- लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस फीस के उद्देश्य हेतु राजस्व के संबंधित खर्चों को बिना समायोजन के सकल राजस्व के रूप में दर्शाया जाए क्योंकि यह लाइसेंस समझौते के अन्तर्गत आवश्यक है।

इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय रोमिंग प्रचालकों के संबंध में ₹ 3.27 करोड़ (अनुलग्नक-3.04) की आई ओ टी छूट के समायोजन के कारण जी आर/ए जी आर में कमी आई। परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा एल एफ व एस यू सी के संबंध में क्रमशतः ₹ 0.32 करोड़ व ₹ 0.11 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया।

3.4 यू डब्ल्यू एल/टी डब्ल्यू/टेलीनॉर द्वारा जी आर/ए जी आर के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ से प्राप्त राजस्व की कम रिपोर्टिंग

लाइसेंस समझौते की शर्तों के अनुसार, जी आर में अन्य विविध राजस्व सम्मिलित होगा। वर्ष 2009-10 से 2014-15 के यूनीटैक/टेलीनॉर समूह के जी एल की समीक्षा से पता चलता है कि ₹ 22.58 की करोड़ की राशि को फोरेक्स लेन-देन पर लाभ से प्राप्ति के रूप में दर्ज किया गया है। तथापि ए जी आर के लिए समाशोधन/मेपिंग के सत्यापन पर यह पाया गया कि फोरेक्स लाभ से प्राप्त राजस्व को, डी ओ टी को भुगतान किये जाने वाले राजस्व शेयर के उद्देश्य से जी आर/ए जी आर में सम्मिलित नहीं किया गया था।

यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि ओरेकल वित्तीय प्रणाली से प्राप्त की गई रिपोर्ट के डाटा सार से उपयुक्त प्राप्त लाभ की गणना इस विशेष मद के वास्तविक लाभ को नहीं दर्शाती क्योंकि कम्पनी ने प्रत्येक वर्ष विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/हानि शीर्ष के अंतर्गत सभी मदों के मूल्य का पुनः आगणित व परिपक्व मदों को प्राप्त लाभों के अन्तर्गत तथा अपरिपक्व मदों को अप्राप्त लाभ के अन्तर्गत लेखांकित किया है। इस कारण उस वर्ष में विशेष मद से प्राप्त लाभ, उस मद के मध्यवर्ती अवधि के दौरान के लाभ/हानि के, अप्राप्त मद में लेखांकन के कारण वास्तविक लाभ नहीं होगा। लेखापरीक्षा, प्रत्येक मद के मौलिक मूल्य के न मिलने के कारण प्रत्येक वर्ष प्राप्त लाभ के अन्तर्गत लेखांकित मदों के वास्तविक मूल्य को ज्ञात नहीं कर सका। संचालक को प्रत्येक मद के लाभ को इसके प्रारम्भिक मूल्य के लेखांकन के सन्दर्भ में गणना में करनी चाहिए व जी आर/ए जी आर में कुल विदेशी विनियम लाभ को सम्मिलित करना चाहिए।

कम्पनी ने उत्तर दिया कि

- विदेशी लाभ हानि के विषय को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किये गये मानक 11 की गणना के अन्तर्गत रखा गया था। ए एस-11 के अनुसार, एक विदेशी मुद्रा के लेन-देन को रिपोर्टिंग, मुद्रा की प्रारंभिक मान्यता में अभिलेखित करना चाहिए व विदेशी मुद्रा की राशि, लेन-देन की तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा व विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय की दर तय कर देनी चाहिए। परिणामस्वरूप लेनदार/देनदार के उत्तरदायित्व निभाने के कारण विदेशी लाभ/हानि उत्पन्न होते हैं व इनका राजस्व से कोई संबंध नहीं होता।
- विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव से प्राप्त होने वाली आय की प्रकृति एक वास्तविक नहीं अपितु एक काल्पनिक राजस्व की थी। यह दोहराया जाता है कि उन खरीदों व लेन देनों के संबंध में जैसे कि परामर्श कार्य के व्यय, उपकरणों की खरीद अथवा विदेशी मुद्रा में लिये गये ऋण, विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव राजस्व के भाग नहीं होते हैं। ऐसी अस्थिरता अततः कीमतों में उतार-चढ़ाव, अथवा खरीद मूल्य अथवा देनदारी पर भी प्रभाव पड़ता है व इसका राजस्व से कोई संबंध नहीं होता।
- टी डी सैट के अप्रैल 2015 के निर्णय में इसे दोहराया गया है कि विदेशी विनिमय में होने वाली उतार-चढ़ाव का लाइसेंस फीस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सकल राजस्व व समायोजित सकल राजस्व की गणना का प्रश्न प्रारंभ से ही विवादों में फंसा हुआ है। डी ओ टी व टी एस पी दस वर्षों से अधिक समय से कुल राजस्व/समायोजित कुल राजस्व की गणना के विषय को लेकर विवादों में है व इस पूर्ण अवधि के दौरान यह मामला बीच में ही रूका हुआ है। यह मामला अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है व अभी इसका अन्तिम फैसला आना शेष है। अतः जैसा कि उपर बताया गया है, विदेशी लाभ लाइसेंस फीस के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कुल राजस्व का हिस्सा नहीं हो सकता।

प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि-

- लेखापरीक्षा का यह तर्क है कि लाइसेंस फीस के उद्देश्य हेतु जी आर में अन्य विविध राजस्व शामिल होगा व इस प्रकार विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ (जिसको पी एण्ड एल के खातों में आय के रूप में लेखांकन किया गया है), जी आर में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- लेखापरीक्षा ने केवल वास्तविक लाभ को ही विचार किया है।
- टी डी सैट द्वारा 23 अप्रैल 2015 को दिये हुए निर्णय को जुलाई 2015 में डी ओ टी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। जबकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, लेखापरीक्षा मानता है कि कंपनी द्वारा जी आर में विदेशी लाभ की गणना ना करना लाइसेंस की शर्तों से भिन्न था।

इस प्रकार विदेशी मुद्रा विनिमय राजस्व की ₹ 22.58 करोड़ (अनुलग्नक-3.05) की राशि सम्मिलित न करने से जी आर/ए जी आर में कमी आई। परिणामस्वरूप एल एफ व एस यू सी की राशि क्रमशतः ₹ 1.89 करोड़ व ₹ 0.85 करोड़ का भुगतान नहीं किया था।

3.5 जी आर/ए जी आर हेतु ब्याज की आय पर विचार न करना

लाइसेंस समझौते के अनुसार राजस्व शेयर के भुगतान के उद्देश्य से ब्याज के रूप में राजस्व, जी आर में सम्मिलित होगा। वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान यूनिकॉम/टेलीनॉर समूह द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों/अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि एफ डी पर ब्याज आय व सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनी/कंपनी से संबंधित पार्टियों को दिये गये अग्रिम व ऋणों से प्राप्त ब्याज राशि ₹ 285.16 करोड़ व ₹ 2.16 करोड़ कंपनी खातों में बुक किया गया था, इन्हें जी आर/ए जी आर के उद्देश्य से विचार में नहीं लिया गया था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर के विवरण में कहा कि:-

- एफ डी से प्राप्त ब्याज टेलीकॉम संचालन से संबंधित नहीं था व इसे ए जी आर में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। आगे, जो ब्याज आय, अधिशेष पूंजी/उधार पूंजी की तैनाती के कारण प्राप्त हुई उसे राजस्व नहीं कहा जा सकता। व्यवसाय में पूंजी लगाने के कारण ऋणों के संवितरण मेल नहीं खा पाये व अंतिम रूप से लाभ का प्रयोग करने के फलस्वरूप वित्तीय आय व वित्तीय व्यय पर प्रभाव पड़ा।
- “समायोजित सकल राजस्व” की गणना का प्रश्न आरंभ से ही विवादों में है। डी ओ टी व टी एस पी दस वर्षों से अधिक समय से सकल राजस्व और समायोजित सकल राजस्व की गणना के विषय को लेकर विवादों में है व इस पूर्ण अवधि के दौरान यह मामला बीच में ही रूका हुआ है। यह मामला अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है व इसका अंतिम निर्णय आना बाकी है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:-

- लाइसेंस समझौतों में जी आर की परिभाषा के अनुसार ब्याज आय को राजस्व शेयर की गणना के हेतु जी आर/ए जी आर में सम्मिलित किया जाना है।
- जबकि यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है तो, जी आर में ब्याज को सम्मिलित ना करना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

इस प्रकार वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि से सम्बन्धित ब्याज आय को सम्मिलित ना करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर में ₹ 287.32 करोड़ कम दर्शाया गया है जैसा कि (अनुलग्नक-3.06) में विस्तृत है। परिणामस्वरूप एल एफ और एस यू सी का क्रमशतः ₹ 24.84 करोड़ एवं ₹ 9.35 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था।

3.6 एल एफ/एस यू सी की गणना हेतु ए जी आर में विविध आयों को सम्मिलित करने पर विचार न करना

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार सकल राजस्व में, ब्याज संबंधी राजस्व, लाभांश व अन्य विविध राजस्वों को संबन्धित मदों के खर्चों को समायोजन किये बिना शामिल किये

जाएंगे। लेखापरीक्षा के साथ साझा किये गये ए जी आर के आंकड़ों/अभिलेखों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान विविध आय जैसे कि स्क्रेप बिक्री से प्राप्त आय, अचल संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ, अन्य आय आदि के रूप में लेखांकित किये गये ₹ 56.55 करोड़ की राशि लाइसेंस फीस व स्पैक्ट्रम उपयोग शुल्क के भुगतान करने के लिए विचार में नहीं लाया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि –

- विविध आय गैर लाइसेंसी गतिविधियों से थी। ऐसी प्राप्तियाँ जैसे कि स्क्रेप की बिक्री, ठेका व अचल संपत्ति की बिक्री से प्राप्त होने वाले लाभ आदि व्यवसाय के लिए आकस्मिक थे जोकि लाइसेंस समझौते के तहत किसी भी प्रकार से टेलीकॉम संचालन से संबंधित नहीं थे।
- कंपनी का लेखांकन व लेखाओं का प्रस्तुतीकरण कंपनी एक्ट के नियम VI के ही अनुसार था। संपत्ति की बिक्री से प्राप्त कोई लाभ/हानि पूंजीगत प्राप्ति की प्रकृति का है। संपत्तियों के लिये किये गये निवेश के कारण राजस्व उत्पन्न हुआ जोकि लाइसेंस फीस से संबंधित था। ऐसी संपत्ति को बेचने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप लाभ/हानि कुछ नहीं थे परन्तु मूल्यहास व खातों में दिये गये संपत्ति के मूल्यों में कमी के लिए बने प्रावधानों के कारण वसूली की राशि कीमत से अधिक हो गई। यह लाभ कोई वास्तविक लाभ नहीं था क्योंकि संपत्ति के मूल्यहास व मूल्यों में कमी के लिए बने प्रावधानों को पहले प्राप्त नहीं किया गया था। यह संचालन से प्राप्त राजस्व व पहले से व्यवसाय हेतु पूंजीगत व्यय पर लाइसेंस शुल्क वसूल किये जाने के समान होगा।
- टी डी सैट ने भी अपने अप्रैल 2015 के निर्णय में बताया कि जब तक कि बिक्री मूल्य सकल बुक मूल्य से (वास्तविक अथवा ऐतिहासिक मूल्य) से अधिक ना हो, बिक्री आय पद्धति आयकर के प्रति जवाबदेह होगी, व इसे सकल राजस्व की गणना करते समय विचार में नहीं लाया जा सकता।
- समायोजित कुल राजस्व की गणना का प्रश्न आरंभ से ही विवादों में है। डी ओ टी व टी एस पी दस वर्षों से अधिक समय से “कुल राजस्व व समायोजित कुल राजस्व” की गणना के विषय को लेकर विवादों में है व इस पूर्ण अवधि के दौरान यह मामला बीच में ही रुका रहा। अब भी यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है व अभी इसका अंतिम निर्णय आना शेष है।

प्रबंधन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण इस प्रकार है:-

- जी आर की परिभाषा स्पष्टरूप से यह बताती है कि राजस्व शेयर की गणना करने हेतु विविध राजस्व को जी आर में सम्मिलित करना चाहिए।
- जबकि यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है तो, जी आर में विविध आय को सम्मिलित ना करना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

अतः ए जी आर में ₹ 56.55 करोड़ की विविध आय की मदों जैसा कि ऊपर वर्णित है, को ए जी आर में विचार करने के परिणामस्वरूप (अनुलग्नक-3.07 एवं 3.08) एल एफ व एस यू सी के क्रमशतः ₹ 4.64 करोड़ व ₹ 2.05 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

3.7 व्यापार हस्तांतरण समझौते के अंतर्गत यू डब्ल्यू एल से टी डब्ल्यू एल/टेलीनॉर व्यवसाय की बिक्री से होने वाले लाभ पर लाइसेंस फीस की गैर अदायगी

यूनीटैक वायरलैस (तमिलनाडु) प्राइवेट लिमिटेड ने टेलीविंग संचार सेवा प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने व्यवसाय की निरन्तरता पर मंदी बिक्री आधार पर, हस्तांतरण के लिए एक व्यापार हस्तांतरण समझौते (बी टी ए) किया था। डी ओ टी के नवम्बर 2013 के अनुमोदन के आधार पर, यूनीटैक वायरलैस (तमिलनाडु) प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 251.50 करोड़ की राशि के लाभ के साथ अपने जी एस एम व्यापार को मैसर्स टेलीविंग संचार सेवा प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया। इस राशि को लाइसेंस फीस की गणना के लिए विचार में नहीं लाया गया।

लाइसेंस फीस की गणना के लिए जी एस एम व्यवसाय की बिक्री से प्राप्त लाभ को जो विविध आय के दायरे में आती है, को नहीं लिया जाना लाइसेंस समझौते का उल्लंघन है। यू ए एस के लाइसेंस समझौते के खंड संख्या 19.1 यह परिभाषित करता है कि कुल राजस्व में व्यय से संबंधित वस्तुओं को बिना जोड़े विविध राजस्वों को सम्मिलित किया जाता है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि:-

- यूनीटैक वायरलैस (तमिलनाडु) प्राइवेट लिमिटेड (यूनीटैक वायरलैस) के लाइसेंस को रद्द करने के पश्चात्, टेलीविंग संचार प्राइवेट लिमिटेड (जोकि अब टैलीनोर संचार प्राइवेट लिमिटेड है) के समूह ने छः परिमंडलों की बोली में स्पैक्ट्रम को प्राप्त किया। इससे अधिक, उपरोक्त परिमंडलों में सेवाओं को जारी रखने के लिए यूनीटैक वायरलैस से टैलीनोर इंडिया का व्यापार हस्तांतरण किया गया जिसे की डी ओ टी द्वारा अनुमोदित किया गया। व्यापार के हस्तांतरण की प्रक्रिया में कुछ भौतिक संपत्ति के मूल्यांकन जैसे की ग्राहकों के साथ संबंध, कार्यबल, आई पी आर, अनुकूल पट्टे आदि तथ्य यूनीटैक वायरलैस को खातो में नहीं थे परन्तु उन्हें बाद में दर्ज किया गया व कथित गणना की राशि को वास्तविक रूप से टैलीनोर इंडिया द्वारा यूनीटैक वायरलैस को अदा किया गया। इस प्रकार की अदायगी की गणना ए जी आर के अंतर्गत नहीं की जा सकती क्योंकि ए जी आर की गणना यू ए एस एल की खण्ड संख्या 19.1 के अंतर्गत की जाती है जिसमें ग्राहकों के साथ संबंध, कार्यबल, जी पी आर, अनुकूल पट्टो को सम्मिलित नहीं किया जाता।
- 'राजस्व' व 'पूंजी' के बीच के अंतर को कभी भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। कहीं भी यह सुझाव नहीं दिया जाता कि राजस्व में संपत्ति अथवा संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय को सम्मिलित किया जाता है। राजस्व का अर्थ है वह आय जोकि किसी भी समूह/संगठन को अपनी साधारण व्यवसायिक क्रियाओं से प्राप्त होती है जबकि आय की परिभाषा इससे कहीं अधिक विस्तृत रूप में होती है। आगे,

“किसी भी अन्य विविध राजस्व” का अर्थ “अन्य विविध आय” नहीं हो सकता। इसे “कुल राजस्व” का हिस्सा बनाने के क्रम में विविध अंतर्वाह/प्रवेश को पहले राजस्व के योग्य बनाना होगा।

प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि लाइसेंस समझौते के अनुसार, सकल राजस्व में ब्याज खाते से प्राप्त राजस्व, लाभांश व अन्य विविध राजस्वों को, इन मदों के व्ययों से समायोजन किये बना सम्मिलित होंगे। लेखापरीक्षा का तर्क है कि पी एण्ड एल खातों में दर्शाये गए लाभ, विविध आय का हिस्सा थे अतः लाइसेंस समझौते के अनुसार, जी आर/ए जी आर की गणना करते समय इन्हें विचार में लाना चाहिए।

व्यवसाय की बिक्री से प्राप्त लाभ को सम्मिलित न करने के कारण वर्ष 2013-14 में जी आर/ए जी आर में ₹ 251.50 करोड़ की कमी आई। परिणामस्वरूप एल एफ एवं एस यू सी के क्रमशः ₹ 22.02 करोड़ व ₹ 8.40 करोड़ की राशि का कहे गये राजस्व पर भुगतान नहीं किया गया था। (अनुलग्नक-3.09)

3.8 एल एफ व एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज

ऊपर उठाये गये मामलो (पैरा संख्या 3.2.1 से 3.7 तक) के अनुसार एल एफ व एस यू सी के कम/गैर भुगतान की राशि क्रमशः ₹ 257.32 करोड़ व ₹ 110.81 करोड़ थी। इस एल एफ व एस यू सी पर कम/गैर भुगतान पर बनने वाली ब्याज की कुल राशि ₹ 235.62 करोड़ थी (अनुलग्नक-3.10)। ब्याज की गणना लाइसेंस समझौते में निर्धारित दर पर आधारित थी जो कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया की मुख्य उधारी दर से दो प्रतिशत ऊपर है व इसकी गणना के लिये विचार में लाई गई अवधि विचाराधीन वित्तीय वर्ष के अंत से मार्च 2016 तक ली गई। लाइसेंस समझौते में निर्धारित ब्याज की गणना मासिक चक्रवृद्धि के आधार पर है।

3.9 राजस्व व लाइसेंस फीस के विवरणी में प्रकटीकरण (ए जी आर का विवरण)

लाइसेंस समझौते के अनुलग्नक-III में विशेष लाइसेंस क्रियाकलाप से राजस्व को लाइसेंस द्वारा मान्यता दिये जाने के लिए भिन्न व विशिष्ट मानक का वर्णन किया गया है। मानक यह स्पष्ट करते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरणों/राजस्व व लाइसेंस फीस की विवरणी (ए जी आर विवरणी) में निम्नलिखित दिखाये जावे -

- सकल राजस्व (सेवाओं की बिल योग्य राशि) कटौति/छूट के अलग-अलग विवरणों के साथ
- मदवार ऐसे आय का विवरण जिसे सम्बन्धित खर्च से समायोजित कर दिया गया है।
- अर्जित राजस्व की वह कोई भी श्रेणी, जिसकी राशि कुल अर्जित राजस्व से 5 प्रतिशत अधिक है उसे अलग से दिखाया जायेगा तथा किसी अन्य मद में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- बिल किए गए, इक्ट्टे किए गए व सरकार को प्रेषित किए गए सेवा करों को प्रथक रूप से दिखाया जायेगा।

- बिल किए गए, इक्ट्टे किए गए व सरकार को प्रेषित किए गए बिक्री करों को प्रथक रूप से दिखाया जायेगा।
- ब्याज की आय व लाभांशों को बिना किसी संबंधित व्ययों के समायोजन के पी एण्ड एल खाते में आय के अन्तर्गत पृथक रूप से दिखाया जाएगा।
- मदवार ऐसे आय का विवरण जिसे संबंधित खर्च से समायोजित कर दिया गया है।

यू डब्ल्यू एल/टी डब्ल्यू एल के लेखापरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपरोक्त मानकों में से कुछ मानकों पर विचार नहीं किया गया। राजस्व को कम दिखाये जाने के उदाहरणों से जैसाकि रिपोर्ट में लिया गया है, यह पुष्टि होती है कि यू डब्ल्यू एल/टी डब्ल्यू एल द्वारा एल एफ व एस यू सी की अदायगी के लिये दी हुई राशि ना तो पूर्णतया लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप थी और ना ही खातों की तैयारी पूर्णतया डी ओ टी द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर की गई थी। इकाईयों के वार्षिक खातों में भले ही सामान्यतः, डी ओ टी द्वारा दी गई आवश्यक सूचनायें को दिया जा रहा था परन्तु ए जी आर विवरणों के साथ प्रस्तुत वार्षिक लेखाओं में महत्वपूर्ण डाटा जो राजस्व के भुगतान के लिए कम्पनी द्वारा मान्यता दी गयी, सही राजस्व को प्रभावित करती है, नहीं दिया जा रहा था। उदाहरणतया सकल राजस्व के साथ छूट/रिबेट के विवरण को अलग से दिखाया जाना, घरेलु तथा बाहरी अभिदाताओं के लिए कुल एयरटाइम इकाईयों का विवरण, बिल न किये वाले नम्बर जिसे अलग से दिखाया जाना था तथा खर्च में क्रेडिट जो ए जी आर की शुद्धता को प्रभावित करती है, इत्यादि को वार्षिक लेखाओं में नहीं दिखाया गया। यद्यपि सांविधिक लेखा परीक्षकों ने हमेशा ही यह सत्यापित किया कि लाइसेंस अनुबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों/मानकों के अनुसार लेखों को तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबंधन ने बताया कि उपरोक्त आवश्यकताओं को संकलित किया गया है, क्योंकि वे या तो बिलिंग प्रणाली, या बही खातों में उपलब्ध है अथवा उन्हें वार्षिक वित्तीय विवरण/बैलेंस शीट में दर्शाया गया है। जबकि प्रबंधन ने उत्तर दिया कि किसी भी आय के मद को सम्बन्धित व्यय से समायोजित नहीं किया गया है। यह पाया गया कि छूट/प्रस्तावों जैसे मामलों में राजस्व को खर्च से समायोजित कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर को कम दिखाया गया।

यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन ना करने के बावजूद भी, डी ओ टी ने इन आवश्यकताओं का अनुपालन करने पर जोर नहीं दिया। लेखापरीक्षा का मत है कि, डी ओ टी द्वारा निर्धारित उपरोक्त खुलासे एजेन्सियों को जिन्हे लाइसेंस कम्पनियों द्वारा प्रतिपादित किये गये जी आर की शुद्धता को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है, को सत्यापन प्रक्रिया की पूर्णता निश्चित करने में सुविधा होगी।

3.10 लेखापरीक्षण के अवलोकनों के लिए डी ओ टी/टेलीनॉर का उत्तर

टेलीनॉर द्वारा देय राजस्व शेयर पर लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को जनवरी 2017 के दौरान डी ओ टी और टेलीनॉर को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। टेलीनॉर ने एक बार फिर

(फरवरी 2017), परिसर लेखापरीक्षा के दौरान जारी किये गये लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर दिये गये उत्तर को दोहराया।

डी ओ टी ने (फरवरी 2017) में कहा कि

- जी आर व ए जी आर की आधारभूत परिभाषा को टी एस पी द्वारा 2002-03 में चुनौती दी गई थी। तब से आरम्भ हुई दीर्घ मुकद्दमेबाजी आज तक जारी है।
- डी ओ टी ने वर्तमान में टी एस पी के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की है व एस सी के आदेशों के अनुसार, विभाग को लाइसेंस समझौते के अनुसार टी एस पी को माँग जारी करने की अनुमति दी गई थी।
- डी ओ टी के समझौते व नीतिगत निर्णय के अनुसार सी ए जी द्वारा प्रस्तुत किये गए अन्तिम आकड़ों के आधार पर माँग उठाई जायेगी।

डी ओ टी की प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि राजस्व शेयर को एन टी पी-1999 के हिस्से के रूप में लाया गया था जैसा कि लाइसेंस समझौते में उल्लिखित है, विभाग इसका देय राजस्व शेयर को प्राप्त करने में इनके लागू होने के 17 वर्ष बाद भी सक्षम नहीं हो सका।

यहाँ पर बताना उचित होगा कि जब सरकार ने लाइसेंस फीस को सभी संचालकों के लिए 2 प्रतिशत तक कम कर दिया जो कि अप्रैल 2004 से प्रभावी था, तो डी ओ टी को यह उम्मीद थी कि यह कमी संचालकों द्वारा सरकार के खिलाफ चुनौतियों को वापस लेने में तत्परता दिखायेगे। हालाँकि लाइसेंस फीस में हुई कमी के कारण संचालकों पर कोई उपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा व संचालकों ने जी आर/ए जी आर और मांग पत्रों की परिभाषा को चुनौती के लिए सरकार के विरुद्ध सतत मुकद्दमेबाजी को जारी रखा। इस प्रकार पी एस पी को लाइसेंस फीस के दामों में कमी होने का लाभ हुआ किन्तु सरकार को मुकद्दमेबाजी कमी का पारस्परिक लाभ नहीं हुआ।

